राजस्थान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025–29 : मुख्य बिन्दु

1. अवधि :

- आगामी चार वर्ष अर्थात् 1 अप्रेल, 2025 से 31 मार्च, 2029 तक के लिये।
- नीति के प्रावधानों की वार्षिक समीक्षा का प्रावधान।

2. मदिरा दुकानों का बंदोबस्त : पारदर्शिता के साथ सरलीकरण

- मदिरा दुकानों की संख्या यथावत 7665 रखते हुए जिलेवार समूहों (Clusters) का गठन।
- वर्तमान अनुज्ञाधारियों को वर्ष 2025–26 के लिए नवीनीकरण का अवसर (जिले में 70 प्रतिशत दुकानें तथा समूह में सम्मिलित सभी दुकानों के नवीनीकरण कराने पर)।
- नवीनीकरण से शेष रही दुकानों का समूहवार ऑनलाईन नीलामी, ई–बिड द्वारा आवंटन।
- प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत गारंटी राशि बढाते हुए पूर्ण नीति अवधि अर्थात् 4 वर्ष के लिये नवीनीकरण कराने का प्रावधान।
- हेरिटेज मदिरा (आर.एस.जी.एस.एम.), वाईन तथा BIO के लिए फैक्ट्री आउटलेट/ब्राण्ड शॉप की अनुमति।
- मॉडल शॉप का आवंटन वार्षिक गारंटी राशि के आधार पर ऑनलाईन नीलामी द्वारा।

3. आपूर्ति की व्यवस्था : कर व्यवस्था के सरलीकरण के साथ नियंत्रित मूल्य वृद्धि की स्वतंत्रता

- आई.एम.एफ.एल के लिये वर्तमान 9 स्लैब आधारित आबकारी ड्यूटी की व्यवस्था के स्थान पर आबकारी ड्यूटी की केवल दो दरें निर्धारित –
  - (i) एक हजार रूपये तक ईडीपी के लिये 310 प्रति एलपीएल + ईडीपी का 75 प्रतिशत,
  - (ii) एक हजार रुपये ईडीपी से अधिक के लिये 370 प्रति एलपीएल + ईडीपी का 75 प्रतिशत निर्धारित करना।
- बीयर के लिए भी आबकारी ड्यूटी की दो दरें निर्धारित –
  - (i) माइल्ड बीयर पर ई.बी.पी. का 185 प्रतिशत,
  - (ii) स्ट्रांग बीयर पर ई.बी.पी. का 200 प्रतिशत।
- मदिरा दुकानों के अनुज्ञाधारियों को आई.एम.एफ.एल. के लिए आर.एस.बी.सी.एल. सेलिंग प्राईस पर 27 प्रतिशत (8 हजार रूपये से अधिक ईडीपी पर 20 प्रतिशत) मार्जिन का निर्धारण।
- आई.एम.एफ.एल., बीयर, वाईन आदि के आपूर्तिकर्ताओं को ई.डी.पी, ई.बी.पी., ई.डब्ल्यू.पी. निर्धारण की स्वतंत्रता तथा एक वर्ष में अधिकतम 5 प्रतिशत की सीमा में कमी/वृद्धि की अनुमति।

4. देशी मदिरा : आबकारी ड्यूटी को कीमतों के साथ संबद्ध करते हुए नियंत्रित मूल्य वृद्धि

- राज्य में मदिरा की मात्रा को नियंत्रित रखने तथा ई.डी.पी. वृद्धि के साथ टैक्स की राशि में भी वृद्धि के दृष्टिगत देशी मदिरा व आर.एम.एल. के लिये भी ad-valorem आबकारी ड्यूटी – 40 यूपी, 50 यूपी, 60 यूपी देशी मदिरा व आर.एम.एल. के लिये निर्गम मूल्य (ई.डी.पी.) का क्रमशः 165 प्रतिशत, 151 प्रतिशत, 115 प्रतिशत व 185 प्रतिशत की दर का निर्धारण।
- देशी मदिरा व आर.एम.एल. के लिये निर्गम मूल्य (ई.डी.पी.) में 4 प्रतिशत व पव्वों (180 एमएल) की एमएसपी/एमआरपी में 5 रूपये तक की वृद्धि।

5. मदिरा उत्पादन इकाईयां/बार : प्रक्रियाओं के सरलीकरण द्वारा उद्यम को प्रोत्साहन

- एयरपोर्ट्स पर बार का प्रावधान।
- होटल बार के लिये न्यूनतम कमरों की संख्या 10 कमरे निर्धारित।
- सभी प्रकार की अनुमति, लाईसेंस व परमिट आदि ऑनलाईन ऑटो अप्रूवल की व्यवस्था।
- मदिरा उत्पादकों/आपूर्तिकर्ताओं को अपने परिसर के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी होलसेल बॉण्ड स्थापना की अनुमति।
- मदिरा उत्पादन इकाईयों यथा डिस्टिलरीज/ब्रेवरीज/बोटलिंग प्लांट की स्थापना जल संसाधन/भू–जल विभाग द्वारा जारी जल उपयोग नीति के प्रावधानों के अनुसार स्थापित करने की अनुमति।
- इथेनॉल उत्पादन इकाईयों (डिस्टिलरीज) की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु लाईसेंस फीस को कम करके 5 से 8 लाख रूपये प्रतिवर्ष निर्धारित।

6. मद्यसंयम के नीतिगत निर्देश :

- मदिरा उपभोग प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापनों पर कार्यवाही की व्यवस्था।
- मदिरा पात्रों व दुकानों पर मदिरा उपभोग के दुष्प्रभावों की सुस्पष्ट चेतावनी का अंकन।
- अवयस्कों को नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक।
- सार्वजनिक स्थलों पर मद्य सेवन पर जुर्माना।

7. अवैध मदिरा पर प्रभावी नियंत्रण :

- समीपवर्ती राज्यों से अवैध मदिरा पर रोक लगाने हेतु पुलिस के साथ समन्वय करते हुए संयुक्त जांच दलों का गठन।
- मुखबिर प्रोत्साहन योजना का उपयोग कर अवैध गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों की जानकारी एकत्रित कर प्रभावी रोकथाम की व्यवस्था।
- सीमावर्ती जिलों में संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में आबकारी, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मॉनिटरिंग कमेटी का गठन।

[राजस्थान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025–29 वित्त विभाग की वेबसाईट https://finance.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।]

Rajasthan Excise and Temperance Policy 2025-29 : Salient Features

(1) Duration :

- For the next four years i.e. from April 1, 2025 to March 31, 2029.
- Provision for annual review of the provisions of the policy.

(2) Settlement of Retail Shops : Simplification with transparency

- Formation of district wise clusters while keeping the number of liquor shops unchanged at 7665.
- Opportunity for renewal to the existing licensees for the year 2025-26 (on renewal of 70 percent shops in the district and all shops included in the cluster).
- Cluster wise online auction/ e-bid of shops remaining after renewal.
- Provision for renewal for full policy term i.e. 4 years by increasing the guarantee amount by 10 per cent every year.
- Factory outlet/ Brand shops for heritage liquor (RSGSM), wine and BIO.
- Allotment of Model Shops through online auction on annual guarantee amount.

(3) Supply arrangement : simplification of tax system with freedom of controlled price increase

- Only two rates of excise duty fixed for IMFL instead of present 9 slab based excise duty system-
  (i) Rs.310 per LPL + 75% of EDP for EDP up to one thousand rupees,
  (ii) For EDP above Rs. 1,000, the rate is Rs.370 per LPL + 75% of EDP.
- Two rates of excise duty fixed for beer also-
  (i) 185 per cent of EBP on mild beer,
  (ii) 200 per cent of EBP on strong beer.
- Fixation of 27% retailer margin (20% on EDP of more than Rs. 8,000) on RSBCL selling price for IMFL.
- Freedom to determine EDP, EBP, EWP to suppliers of IMFL, beer, wine etc. and permission to increase/decrease upto a maximum of 5% in a year.

(4) Country liquor: Controlled price increase by linking excise duty to prices

- In order to control the quantity of liquor in the state and to increase the amount of tax with the increase in EDP, ad-valorem excise duty for country liquor and RML has been fixed at 165%, 151%, 115% and 185% of the issue price (EDP) for 40 UP, 50 UP, 60 UP country liquor and RML respectively .
- Country liquor and RML 4% increase in issue price (EDP) and increase in MSP/MRP of nips (180 ml) upto Rs. 5.

(5) Liquor Manufacturing Units/Bars: Promotion of the enterprise by simplification of procedures

- Provision of bar at airports.
- Minimum number of rooms for hotel bar fixed at 10 rooms.
- Provision of online auto approval of all types of permissions, licenses and permits etc.
- Permission for liquor producers/suppliers to set up wholesale bond at places other than their premises also.
- Enabling provision for establishment of excise units such as distillery/brewery/ bottling plant as per the water use policy issued by Water Resources/Ground Water Department.
- To encourage setting up of ethanol production units (distilleries), reduced license fee of Rs 5 to 8 lakh per annum.

(6) Temperance Policy:

- Strict action against advertisement of liquor promotion.
- Marking of clear warnings about the ill effects of alcohol consumption on liquor packings and shops.
- Prohibition on sale of liquor to minors.
- Penalty on consumption of liquor at public places.

(7) Effective Control on Illicit Liquor :

- Formation of joint investigation teams in coordination with the police to stop illicit liquor from neighboring States.
- Arrangment of effective prevention by collecting information about persons involved in illicit activities through Mukhbir Protsahan Yojana.
- Formation of monitoring committee of Excise, Police and Administration under the chairmanship of Divisional Commissioner in border districts.

[Complete document of Rajasthan Excise and Temperance Policy Year 2025-29 is available on FD website- https://finance.rajasthan.gov.in]